



Neutral Citation No. - 2026:AHC:41537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए सं. - 2467 वर्ष 2026

राज कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:दिग्विजय तिवारी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:सी.एस.सी.

न्यायालय सं.- 30

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'ए' के रूप में अंकित किया गया है।
2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिग्विजय तिवारी, तथा राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय की दलीलें सुनी गईं।
3. इस न्यायालय ने 19.02.2026 को रिट याचिका को स्वीकार किया था और विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश मांगे थे।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए हैं, जिन पर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के हस्ताक्षर हैं; और उनके अनुसार, ये निर्देश अपने आप में पूर्ण हैं, तथा वे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, और रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाए।
5. दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय एक नए मामले के रूप में किया जा रहा है।
6. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे एक माली/बीट प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया था, और दिनांक 14.01.2026 को उसे निलंबित कर दिया गया। निलंबन का आरोप यह था कि वर्ष 2022-23 के दौरान 10 हेक्टेयर भूमि पर सामाजिक वानिकी का कार्य किया जा रहा।
“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

था, जिसके अंतर्गत 20,000 पौधे लगाए जाने थे। किंतु, यह पाया गया कि वहां उपलब्ध पौधे निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप नहीं थे, और उनकी संख्या भी कम थी।

7. उक्त निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए, यह वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

8. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि विवादित निलंबन आदेश को एक ही घटना या एक खास मौके के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। भले ही रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया हो, लेकिन न तो कोई जांच सोची गई है और न ही कोई जांच चल रही है; इसलिए, निलंबन आदेश उ. प्र. सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के नियम 4 का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि निलंबन आदेश में लगाए गए आरोपों के आधार पर, किसी भी हाल में कोई बड़ी सज़ा नहीं दी जा सकती है।

9. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, अगर रिट याचिकाकर्ता ने एक बार कोई दुराचार किया है, तो उसे निलंबित किया जाना ही चाहिए।

10. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का ध्यान से अध्ययन किया है।

11. ज़ाहिर है, रिट याचिकाकर्ता की सेवा उ. प्र. सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के तहत नियंत्रित होती है। नियमावली, 1999 के नियम 4 खुद यह कहता है कि जिस सरकारी कर्मचारी के आचरण के खिलाफ कोई जांच सोची गई हो या चल रही हो, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है। यहाँ, न्यायालय ने पाया कि निलंबन आदेश में, किसी विभागीय कार्यवाही के लंबित होने या उसके बारे में सोचे जाने का कोई ज़िक्र नहीं है। इसी तरह के हालात में, **श्रीमती मीरा तिवारी बनाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अन्य**, विशेष अपील संख्या 467/2001, जिसका फैसला 26.04.2007 को हुआ था, में बिना किसी जांच के लंबित होने या सोचे जाने के निलंबन के मुद्दे को चुनौती दी गई थी, और निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

3. उक्त नियम से यह प्रतीत होता है कि कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी, जिसके आचरण के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन है या चल रही है, उसे जाँच पूरी होने तक निलंबित किया जा सकता है। निलंबन के इस विवादित आदेश में न तो किसी विचाराधीन जाँच का उल्लेख है और न ही इस तथ्य का कि कोई जाँच लंबित है।

12. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि कोई विभागीय कोई जाँच विचाराधीन है या चल रही है, इसलिए निलंबन आदेश को सही नहीं ठहराया जा सकता है।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाता है:

ए. प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा 14.01.2026 को पारित रिट याचिकाकर्ता के निलंबन का आदेश रद्द किया जाता है।

बी. प्रत्यर्थी संख्या 2 को, यदि अवसर हो, तो एक नये सिरे से आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



24 फरवरी, 2026

ए.एन. मिश्रा

(मा0 न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”